

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

-- आदेश --

संख्या-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 2830 / पटना-15, दिनांक-11-6-79

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों तथा राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त अवर सचिवों को संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विभाग/कार्यालय में अवर सचिव के रिक्त पद पर नियोजित किया जाता है:-

क्र०	सेवानिवृत्त अवर सचिव का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	विभाग/कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री संतोष कुमार	21.01.1959 31.01.2019	लघु जल संसाधन विभाग
2.	श्री जितेन्द्र नारायण	29.12.1958 31.12.2018	बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
3.	श्री प्रेम कुमार गुप्ता 'प्रेम'	15.07.1957 31.07.2017	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
4.	श्री नारायण साव	17.10.1958 31.10.2018	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
5.	श्री कामेश्वर दास	12.06.1958 30.06.2018	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
6.	श्रीमती सुमन सिन्हा	15.12.1958 31.12.2018	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(क) यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी। प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया ऐसा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।


(ग) संकल्प की कंडिका-3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(घ) संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका-3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(च) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।


(छ) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 7830 / पटना-15, दिनांक: 11-6-19

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 7830 / पटना-15, दिनांक: 11-6-19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार/संबंधित नियोजित सेवानिवृत्त अवर सचिवों/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 22, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/विविध-03-06/2018, सा.प्र. 7830 / पटना-15, दिनांक: 11-6-19

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।